

पटना में दिनांक-10 जून, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न कोटि के 14 (चौदह) पदों के सृजन के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

खेल विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | “बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2025” की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

खेल विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | “बिहार खेल सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2025” की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

खेल विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | “बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2025” की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ग्रामीण विकास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के चिह्नित 09 जनजाति के योग्य लाभुकों को केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ देने की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 7. | लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 267 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक 36 नये पदों के सृजन की स्वीकृति। | 7. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|---|-------------|
| 8. डा० आशीष कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया के विरुद्ध दिनांक-17.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में "सेवाच्युति" की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। | 8. स्वीकृत। |
|---|-------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|--|-------------|
| 9. डा० मो० फिरदौस आलम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेशखुंड, गोगरी, खगड़िया को दिनांक-04.04.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 9. स्वीकृत। |
|--|-------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|---|--------------|
| 10. डा० जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया को दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 10. स्वीकृत। |
|---|--------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|--|--------------|
| 11. डा० अनामिका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (SNCU) सदर अस्पताल, लखीसराय को दिनांक-16.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 11. स्वीकृत। |
|--|--------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|--|--------------|
| 12. डा० अनुपम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) रेफरल अस्पताल, बड़हिया, लखीसराय को दिनांक-29.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 12. स्वीकृत। |
|--|--------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|--|--------------|
| 13. डा० अनुपम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (दन्त) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय को दिनांक -21.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 13. स्वीकृत। |
|--|--------------|

स्वास्थ्य विभाग

14. डा० अभिनव कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौवा, हलसी, लखीसराय को दिनांक-15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

15. सात निश्चय पार्ट-2 (2020-25) के तहत "हर जिले में मेगा स्किल सेंटर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)" स्कीम अन्तर्गत प्रथम चरण में 9 प्रमंडलीय जिलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 से अगले 5 वर्षों में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत रु०-280.87 करोड़ (दो सौ अस्सी करोड़ सत्तासी लाख रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में। 15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16. जल संसाधन विभाग अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रुपये 100 (सौ) करोड़ से कम लागत की योजनाओं को प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त विपत्र कोड (49-4711010510209 / 49-4711010510309) के स्थान पर राज्य योजना मद के विपत्र कोड (49-4711010510110 / 49-4711017890104 / 49-4711017960101) में व्यय भारित करने की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

17. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025" बनाने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

18. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

19. समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत बिहार बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। 19. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली, 2023 में प्रस्तावित संशोधन के साथ बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2025 पर स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

21. पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के संबंध में। 21. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

22. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी के कुल 04 (चार) पदों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय एवं संविदा के आधार पर उक्त पदों पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।